

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(89)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 05-06-2017

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के निम्नांकित कनिष्ठ विधि अधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: स.3(2)(04)स्था/अ.अ.अधि/अभि/16/8308-8668 दिनांक 23.05.2017 व 29.05.2017 के क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर संबंधित विभाग को इन्हें कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पदस्थापन स्थान
1.	मानवेन्द्र सिंह गौड़	जिला कलक्टर कार्यालय बूंदी

उक्त कनिष्ठ विधि अधिकारी को स्थायी नहीं किया गया है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के अनुसार उक्त कार्मिकों का इस विभाग में लियन नहीं रखा जाएगा।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


05-06-17
संयुक्त शासन सचिव